

भारत सरकार
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय
9 वी मंजिल, 'डी' ब्लॉक,
आयकर शिकर, ऐ.सि. गार्डस,
हैदराबाद - 500 004.
टेलिफैक्स : 040-23425467 : 23230327



GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Principal Chief Commissioner of Income Tax
9th Floor, 'B' Block,
Income Tax Towers, A.C. Guards,
Hyderabad - 500 004.
Telefax : 040-23425467

फा.सं.प्र.मु.आ.आ./हैद./रा.भा.7(6)/प्रो.यो/2019-20

दिनांक : 10.07.2019.

सेवा में,
कार्यालय प्रमुख/ Heads of Office
हैदराबाद प्रभार/ Hyderabad Charge.
महोदय/ महोदया
Sir/ Madam,

विषय:- सरकारी कामकाज (टिप्पण/ आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना 2018-19 के संबंध में ।
Sub:- Incentive Scheme for doing official work (noting/drafting) originally in Hindi and giving dictation in Hindi by the officers during the year 2018-19 - reg.

राजभाषा विभाग द्वारा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष 2018-19 में भी अर्थात् 01.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिए सरकारी काम-काज (टिप्पण/ आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए नकद प्रोत्साहन पुरस्कार आरंभ की गई । इस योजना में भाग लेने वाले इच्छुक अधिकारी/ कर्मचारी मूल टिप्पण व आलेखन के साथ-साथ हिंदी में किये गये अन्य कार्य जैसे रजिस्टर में इन्द्राज, सूची तैयार करना, लेखा कार्य आदि जिसका सत्यापन किया जा सके उसका दैनिक विवरण राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये संलग्नित प्रपत्र में भरकर अपने नियंत्रण प्राधिकारी से प्रमाणित करवा कर 20 अगस्त, 2019 तक हिंदी अनुभाग को भेज दें । केवल वे अधिकारी/ कर्मचारी ही पात्र होंगे जिन्होंने उपरोक्त अवधि के दौरान कम से कम 10,000 शब्द हिंदी में लिखें हों ।

Similar to the previous years, a Cash Award Incentive Scheme is introduced by the Official Language Department for the employees who are doing their official work (noting/ drafting) originally in Hindi and dictation given by the officers for this year 2018-19 i.e. for the period from 01.04.2018 to 31.03.2019. Interested Officers and employees those who are doing official work (noting/ drafting) originally in Hindi like entries in the register, preparation of list, accounts work etc..., that can be verified and their day to day work should enter in the enclosed proforma issued by the Official Language Department after getting certified by the controlling authority and the same may be sent to Hindi Section on or before 20th August, 2019, only those officers/employees are eligible who write at least 10,000 words in Hindi during the above said period.

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित पुरस्कार राशि दी जाएगी ।
The following cash prizes will be given for the above scheme.

हिंदी में टिप्पण/ आलेखन के लिए पुरस्कार राशि / Prize Amount for noting/drafting in Hindi

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1. पहला पुरस्कार (02 पुरस्कार) | : | प्रत्येक 5000/- रूपये |
| First prize (02 prizes) | : | Rs.5000/- each |
| 2. दूसरा पुरस्कार (03 पुरस्कार) | : | प्रत्येक 3000/- रूपये |
| Second prize (03 prizes) | : | Rs.3000/- each |
| 3. तृतीय पुरस्कार (05 पुरस्कार) | : | प्रत्येक 2000/- रूपये |
| Third prize (05 prizes) | : | Rs.2000/- each |

अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देन के लिए/ For Hindi dictation given by the Officer :

- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 1. पहला पुरस्कार (01 पुरस्कार) | : | प्रत्येक 5000/- रूपये |
| First prize (01 prize) | : | Rs. 5000/- each |

संलग्नक : दोनों प्रोफार्मा की प्रति
Encl : Copy of both the proforma

भवदीय/ Yours faithfully



(पीयूष सोनकर/ Peeyush Sonkar)

आयकर आयुक्त (मुख्या. व टीपीएस)/
Commissioner of Income Tax (Admn. & TPS)

नोट : वर्ष 2018-19 के दौरान किये गये इस प्रकार के कार्य की विवरणी निर्धारित प्रपत्र में भरकर
दिनांक 20.08.2019 तक भेजें ।

Note : The details of such work done during the year 2018-19 may be filled in the prescribed
proforma and send it on or before 20.08.2019.

